न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादीगण :–
1. मालचन्द पुत्र सावतसिंह
2. कुम्भाराम पुत्र सावतसिंह
3. रामेश्वरलाल पुत्र सावतसिंह
   जाति जाट सा. महाराजपुरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. सांवतसिंह पुत्र शिवजीराम
2. राधादेवी पुत्री सावतसिंह
   जाति जाट सा. महाराजपुरा
3. तहसीलदार नांवा

दावा बबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वकील वादी
श्री राजेश कुमावत वकील प्रतिवादी

मुकदमां नम्बर :– 25/2016

निर्णय दिनांक :– 11.02.2017

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 एक ही परिवार व खानदान के सदस्य हैं तथा स्व. शिवजीराम के वंशज हैं तथा ग्राम महाराजपुरा के खसरा नम्बर 196, 224 कुल रकबा 4.18 हैक्टयर भूमि जो पूर्व में स्व. शिवजीराम की खातेदारी व कब्जे काश्त में थी तथा उनके स्वर्गवास के बाद अकेले प्रतिवादी 1 सांवतसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई जबकि स्व. शिवजीराम के पोत्रों के नाम भी बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड होना चाहिऐ था वादीगण ने प्रतिवादी 1 को खातेदारी दर्ज करवाने का कहने पर उनके द्वारा इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी 2 ने अपना हिस्सा वादीगण को बहिस्सा बराबर देना स्वीकार किया हैं तथा प्रतिवादी वृद्व अवस्था में हैं तथा मौके पर भूमि वादीगण 1/3 , 1/3 हिस्से अनुसार मौके पर बंट कर अलग अलग काबिज काश्त हैं उक्त अनुसार उक्त भूमि में प्रत्येक वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउझ किया जाकर अलग अलग होल्डिंग कायम किऐ जाने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 3 का सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई प्रतिवादी 1 व 2 ने इकबालिया जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार कर प्रत्येक वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तो प्रतिवादी 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया हैं तथा पक्षकारो की सहमति व जरिये इकबालिया जवाब स्वीकारोती के आधार पर लोक अदालत की भावना से वादीगण का डिक्री किया जाकर खातेदारी दर्ज करने की इस्तदुआ की हैं। तत्पश्चात वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई।

11/2/17

उपखण्ड अधिकारी
(नागौर)

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम महाराजपुरा के खसरा नम्बर 196, 224 कुल रकबा 4.18 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1 सांवतसिंह पुत्र शिवराम के नाम दर्ज रिकार्ड हैं, दौरान बहस प्रतिवादी 1 के अधिवक्ता ने स्वीकार किया हैं कि उक्त विवादित भूमि पुश्तैनी हक हिस्से एवं कब्जे काश्त व खातेदारी की हैं स्व. शिवजीराम प्रतिवादी 1 के पिता थे जिनके नाम पूर्व में खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी जिनके स्वर्गवास के बाद अकेले प्रतिवादी 1 उनका पुत्र होने से खातेदारी दर्ज रिकार्ड हो गई थी उनके स्वर्गवास के दिन वादीगण का जन्म हो चुका था तथा मौके पर काश्त इनके द्वारा ही की जा रही हैं प्रतिवादी 1 वृद्व हैं जो खेती करने में असमर्थ हैं तथा अपने पुत्रों वादीगण को प्रतिवादी ने मौके पर भूमि बराबर 3 हिस्सो में बांट कर सुपुर्द कर दी हैं तथा वादीगण द्वारा ही अलग अलग सीवें नीवें कायम कर काश्त करते हैं तथा प्रतिवादी 2 ने भी स्वीकार किया हैं कि उक्त भूमि पुश्तैनी हैं जिसमें मेरा हक हिस्सा निहित हैं जो में वादीगण को बहिस्सा बराबर देना चाहती हूँ वादीगण मुझ प्रतिवादी 2 के संगे भाई हैं उक्त विवादित आराजीयत की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तो हम प्रतिवादी 1, 2 को कोई आपति नहीं हैं बल्कि पूर्ण सहमति हैं। जिससे वादीगण का वाद सबित होता है।

अतः वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना से आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम महाराजपुरा के खसरा नम्बर 196, 224 कुल रकबा 4.18 हैक्टयर भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार वादीगण की अलग अलग होल्डिंग कायम कर अलग अलग तरमीम किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प डुयूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नावां